Nai Dunia (Indore), 20th June 2015, Page – 09

# आईआईटी के खिलाफ फिर हाई कोर्ट पहुंचे किसान

**इंदौर।** खेतों में दीवार खड़ी कर 200 किसानों का रास्ता बंद करने वाले आईआईटी के खिलाफ सिमरोल के किसान शुक्रवार को फिर हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए युगलपीठ में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि मामला जीवन जीने के अधिकार का है। कोर्ट ने याचिका ग्राह्य की और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए।

किसानों के वकील देवेंद्र पेंडसे व राजेंद्र नामदेव ने पक्ष रखा कि एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामला सुखाधिकार है इसलिए जिला कोर्ट जाओ। किसानों को अपने ही खेतों में जाने से रोकना जीवन जीने के अधिकार का हनन है। मांग की गई कि आईआईटी से एप्रोच रोड बनवाई जाएं। आईआईटी के निर्माण कार्य पर स्टे की मांग करते हुए आवेदन भी पेश किया है।